न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 20/2013/223 आर टी ए

बिरसासिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 टीएलडब्ल्यू–ए तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. बलवंतसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पालसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कलवंतसिह पुत्र त्रिलोकसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0/वादीगण

4. निन्द्रसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. जोगेन्द्रसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. कश्मीरसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/प्रतिवादीगण सं. 1 से 3

7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

––रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 591/2012 अनवानी बलवंतसिंह आदि बनाम निन्द्रसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–18.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि चक 3 टीएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी के खाता सं. 165/145 प.न. 239/290 कि.न. 4, 5, 7, 8, 14 कुल 1.265 है0 भूमि मे अपीलांट का 0.211 है0 व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता त्रिलोकसिंह व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 के पिता अनोखसिंह का बहिस्सा बराबर 0.817 है0 व रेस्पो0 सं. 4 का 0.237 है0 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कि

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

कि चक 3 टीएलडब्ल्यू की उक्त कुल 1.265 है0 मे रेस्पो0 सं. 4 का 0.237 है0, अपीलांट का 0.211 है0 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3/वादीगण ने उक्त कुल 0.448 है0 भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 का कब्जा काश्त होना प्रकट कर उक्त भूमि 0.448 है0 रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 की बहिस्सा बराबर की घोषणा चाही। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का वादपत्र डिक्री फरमाते हुए राजस्व अभिलेख मे अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 व रेस्पो0 सं. 4 के नाम दर्ज 0.237 है0 कुल 0.448 है0 मे वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 सं. 4 ता 6 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 भूमि को खाता से कलमजन किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा बैंक ऋण को यथावत रखने का आदेश पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धांतो क विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है।अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादपत्र मे अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नही हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तलब करने हेतु कोई साधारण सम्मन जारी नही किये गये तथा ना ही कथित रजिस्टर्ड सम्मन की तामील हुई। वस्तुतः अपीलांट तलवाड़ाझील का निवासी ही नही था बल्कि उसका स्थाई निवासी चक 1 टीएलडब्ल्यू–ए है तथा इस पता पर कोई सम्मन जारी नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामील होने के अवधारणा कतई गलत व विधि विरूद्ध पारित की है। प्रश्नगत खाता मे अपीलांट का 0.211 है0 हिस्सा है। अपीलांट रेस्पो. सं. 1 ता 6 के परिवार का सदस्य नही है। अतः कथित किसी पारिवारिक समझौता मे अपीलांट की खातेदारी भूमि तादादी 0.211 है0 रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को प्राप्त होने का

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता था। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 अथवा रेस्पो0 सं. 4 ता 6 ने कथित पारिवारिक समझौत के तथ्य को किसी भी साक्ष्य से साबित नही किया है। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने परस्पर षड़यंत्र रचकर बिना किसी आधार के तथा गैर स्वीकारोक्ति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र स्वीकारोक्ति के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध मे बिना किसी साक्ष्य के रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दिया। प्रश्नगत भूमि बैंक के रहन थी तथा राजस्व अभिलेख मे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तलवाड़ा मुर्तहीन के रूप मे दर्ज था। रेस्पो0/वादीगण ने बैंक को पक्षकार भी नही बनाया तथा ना ही स्व. अनोखसिंह व त्रिलोकसिंह के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया। मामला मे आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन का भी दोष रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2012 को अपास्त किया जावें व उक्त डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुये अमल दरामद को निरस्त कर दावा से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर चक 3 टीडब्ल्यू के खाता सं. 165/145 मे रेस्पो0 सं 4 व अपीलांट के नाम दर्ज कुल 0.448 है0 भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 का कब्जा काश्त होना प्रकट कर उक्त भूमि 0.448 है0 रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 की बहिस्सा बराबर की घोषणा चाही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं. 4/अपीलांट बाद तामील उपस्थित नही हुआ जिसके कारण प्रतिवादी सं. 4/अपीलांट मौन सहमति मानी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का वादपत्र डिक्री फरमाते हुए राजस्व अभिलेख मे अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 व रेस्पो0 सं. 4 के नाम दर्ज 0.237 है0 कुल 0.448 है0 मे

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 सं. 4 ता 6 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 भूमि को खाता से कलमजन किये जाने का आदेश पारित किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर चक 3 टीडब्ल्यू के खाता सं. 165/145 मे रेस्पो0 सं 4 व अपीलांट के नाम दर्ज कुल 0.448 है0 भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 का कब्जा काश्त होना प्रकट कर उक्त भूमि 0.448 है0 रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 4 ता 6 की बहिस्सा बराबर की घोषणा चाही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का वादपत्र डिक्री फरमाते हुए राजस्व अभिलेख मे अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 व रेस्पो0 सं. 4 के नाम दर्ज 0.237 है0 कुल 0.448 है0 मे वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 सं. 4 ता 6 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज 0.211 है0 भूमि को खाता से कलमजन किये जाने का आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे मुश्तरका खाता मे दर्ज भूमि के समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नही किया गया था बल्कि राजीनामा मात्र रेस्पो0 सं. 4 ता 6/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य होना दर्शाया गया है तथा राजीनामा पर मात्र प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के हस्ताक्षर बतौर सहमति दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 4/अपीलांट के हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी अंति नही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। वाद मे अपीलांट के नाम दर्ज भूमि वादीगण/प्रतिवादीगण के नाम किस आशय की गई है, के संबंध मे कोई विवेचन या विश्लेषण नही किया गया है तथा ना ही प्रभावित पक्षकार को विधिवत रूप से तामील करवाई गई एवं जो तामील प्रतिवादी/अपीलांट के पते पर दर्शाई गई वह भी सही नही है चूंकि अपीलांट का स्थाई पता चक 1 टीडब्ल्यू–ए तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ है जबकि तामील तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान के सहमति के एवं बिना विधिवत तामील करवाये दावा डिक्री किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर मौका पर कब्जा काश्त अपीलांट का है जो पटवारी हल्का तलवाड़ा द्वारा वसीयत के संबंध मे अंकित रिपोर्ट से साबित होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका कब्जा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official